

## प्रकाशनार्थ

### कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर।

दूरभाष:- (0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स: (0551) 2580020

### अल्पकालीन निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अधोलिखित कार्य हेतु कालम 7 के अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों से आफ लाइन प्रतिशत दर टू-बिड्स सिस्टम से दिनांक-14.09.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक-22.09.2020 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड दिनांक-22.09.2020 को अपरान्ह 4.00 बजे गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/गीडा वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु० लाख में) जी०एस०टी० एवं लेबर सेस अतिरिक्त	घरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा सेक्टर-5 एवं 9 के ग्रीन बेल्ट में आर०सी०सी० पिलर के साथ बारबेड वायर फेन्सिंग का कार्य।	8.48	0.848	(निविदा मूल्य + जी०एस०टी०) रु० 1180.00	3 माह	D	आफ-लाईन

नोट:-बिड डाक्यूमेन्ट तथा समस्त विस्तृत शर्तों सहित निविदा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर के वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर दिखायी देगी एवं उसी पर डाउन लोड की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त दिनांक-21.09.2020 तक कोई भी शुद्धि पत्र गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर के वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर अपलोड कर दी जायेगी।


मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

पत्रांक:-1927/अभि०नि०-6/निविदा (सि०)/गीडा/2020-21

दिनांक- 11 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि-

- 1-जन सम्पर्क अधिकारी/सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति) गीडा को एक हिन्दी दैनिक समाचर पत्र एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- 2-कम्प्यूटर अनुभाग, गीडा को इस आशय से प्रेषित कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर के वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 3-गीडा/जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4-वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5-निविदा समिति के सदस्यों सहायक प्रबन्धक (सिविल), सहायक प्रबन्धक (वित्त) एवं प्रबन्धक नियोजन को सूचनाार्थ।

  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

## कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

### सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर।

दूरभाष:-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स: (0551) 2580020

### अल्पकालीन निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अधोलिखित कार्य हेतु कालम 7 के अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों से आफ लाइन प्रतिशत दर टू-बिड्स सिस्टम से दिनांक-14.09.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक-22.09.2020 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड दिनांक-22.09.2020 को अपरान्ह 4.00 बजे गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/गीडा वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु० लाख में) जी०एस०टी० एवं तैबर सेस अतिरिक्त	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा सेक्टर-5 एवं 9 के ग्रीन बेल्ट में आर०सी०सी० पिलर के साथ बारबेड वायर फेन्सिंग का कार्य।	8.48	0.848	(निविदा मूल्य + जी०एस०टी०) रु० 1180.00	3 माह	D	आफ-लाईन

#### नियम एवं शर्तें :-

- A) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी। निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य डी०डी० के रूप में जो गीडा, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा तथा परफार्मेंश सिक्क्योरिटी/धरोहर धनराशि जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० मूल रूप में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पक्ष में बन्धक हो एवं गोरखपुर में देय हो व जिसकी वैधता निविदा तिथि से 36 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
- B) ITB क्लॉज 4.4 बी के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए "बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए।
- C) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि गीडा के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- D) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- E) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- F) प्रत्येक बिड्स को रु० 100.00 के नान-ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर संलग्न करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसीटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें।
- G) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा०)/06 दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या-2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचितता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबन्धित होगा साथ ही उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबन्धित होगा साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो०नि०वि० अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- H) निविदा के समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग के T-1 में निहित प्राविधान के अनुसार निविदा मूल्य के समान प्रकृति के कार्य का एक तिहाई का अनुभव होना अनिवार्य है।
- J) निविदादाता द्वारा विगत 5 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम आगणन के 50 प्रतिशत धनराशि का सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं आई०टी०आर० तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी०एस०टी० का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- K) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत परफार्मेंश सिक्क्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंश सिक्क्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- L) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

- M) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिये रू0 1000 प्रतिदिन अर्धदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- N) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- P) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर प्रतिमाह अनुबन्ध की धनराशि पर 1 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) गीडा में निहित होगा।
- Q) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- R) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लॉक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- S) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) नियमानुसार देय होगा।
- T) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- U) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।  
(ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोटि करना सुनिश्चित करेंगे।
- V) अन्य नियम व शर्तें लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।


(संजीव रंजन)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

पत्रांक: 1326 /अभि0नि0-6/निविदा (सि0)/गीडा/2020-21

दिनांक- 11 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि-

- 1-कम्प्यूटर अनुभाग, गीडा को इस आशय से प्रेषित कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर के वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 2-गीडा/जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 3-वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4-निविदा समिति के सदस्यों सहायक प्रबन्धक (सिविल), सहायक प्रबन्धक (वित्त) एवं प्रबन्धक नियोजन को सूचनार्थ।

  
(संजीव रंजन)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी